राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/01/2022 को संपन्न 392वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

––––00––––

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

डॉ. दीपक सिन्हा, सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय नागार्जुन स्नाकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अध्यक्ष की अनुमति से समिति की सहायता हेतु उपस्थित रहे।

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1ः **परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 4894(अ), दिनांक 23/11/2021 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया है। तदानुसार अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 05/01/2022 द्वारा दिये गये आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावकों को उपस्थित होने बाबत् पत्र जारी किया गया।

1. मेसर्स श्री छबी जंघेल (भूरसीडोगरी सेण्ड माईन), ग्राम–भूरसीडोगरी, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1684)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213482/2021, दिनांक 30/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भूरसीडोगरी, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 886, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सीता नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 17,267 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रूद्र प्रकाश साहू, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भुरसीडोंगरी का दिनांक 25/07/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 75/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021–22 कांकेर, दिनांक 25/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 766/खनि/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 525/खनि/न.क./2021 धमतरी, दिनांक 21/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त

खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री छबि जंघेल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 230/खनिज/निविदा/2021 धमतरी, दिनांक 26/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भुरसीडोंगरी 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–भुरसीडोंगरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल नगरी 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 102 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 577 मीटर, न्यूनतम 575 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 17,267 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.8 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.32	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Bhursidongri**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Total	**0.50**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र –**

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 102 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 838 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल के अपस्ट्रीम में कम से कम 250 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 1,895 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 2,733 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.726 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं सीतानदी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रूद्रप्रकाश साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/5743 धमतरी, दिनांक 01/10/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीज सीमा से सीतानदी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. रेत उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत भुरसीडोंगरी के अनापत्ति प्रमाण पत्र में सचिव के सील एवं हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रस्तुत इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान, उत्खनन योजना के अनुमोदन पत्र, कार्यालय कलेक्टर, जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों यथा चिन्हांकित/सीमांकित, 200 मीटर एवं 500 मीटर में **खसरा क्रमांक 886** के स्थान पर **खसरा क्रमांक 866** का उल्लेख किया गया है। अतः संशोधित प्रमाण पत्र/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन दिनांक 26/02/2021 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही करंज एवं जामुन प्रजाति को भी सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. लीज सीमा से सीतानदी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत उत्खनन के संबंध में सरपंच एवं सचिव के सील तथा हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत भुरसीडोंगरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान, उत्खनन योजना के अनुमोदन पत्र, कार्यालय कलेक्टर, जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों यथा चिन्हांकित/सीमांकित, 200 मीटर एवं 500 मीटर में **खसरा क्रमांक 886** के स्थान पर **खसरा क्रमांक 866** का उल्लेखित है। अतः उक्त के संबंध में संशोधित प्रमाण पत्र /जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं वन विभाग को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बरांजी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– कुसुम तुलसयान), ग्राम–बरांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 705)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74535/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 50073/2018, दिनांक 25/01/2020 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरांजी, तहसील–लोहांडीगुड़ा, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 207/13, कुल क्षेत्रफल–1.619 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/03/2019 द्वारा उल्लघंन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 25/01/2020 को प्रस्तुत की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/10/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय हेलिवाल, अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि तकनीकी सलाहकार उपस्थित नहीं होने के कारण प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। उक्त आवेदन को समिति की दिनांक 08/12/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी के साथ दिनांक 08/12/2020 को प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(इ) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2021 एवं 04/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(ई) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 08/10/2020, 06/11/2020, 07/12/2020 एवं 08/12/2020 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय हेलिवाल, अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत बड़ांजी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /बस्तर/चूप/खयो–1128/2017–रायपुर/919 रायपुर, दिनांक 05/01/2018 (अवधि 2017–18 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2009/खनिज/ख.लि.02/ख.प.04/94/2018 जगदलपुर, दिनांक 07/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 22.56 हेक्टेयर हैं।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – समीपस्थ आबादी ग्राम–बड़ाजी 0.75 कि.मी., स्कूल ग्राम–बड़ाजी में 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बड़ाजी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इंद्रावती नदी 1.15 कि.मी. दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./147 जगदलपुर, दिनांक 07/01/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

7. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्रीमती कुसुम तुलसयान के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्षों के लिए 06/01/1999 से 05/01/2049 तक की अवधि हेतु है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,78,162 टन एवं माईनेबल रिजर्व 55,088 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,120 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट

सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में भू–भाग के 1.34 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। बेंच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1999	8,903	2009	5,957.65
2000	14,889	2010	13,112.7
2001	8,348.44	2011	2,633.55
2002	35,484	2012	5,977.9
2003	23,643	2013	8,451.183
2004	9,149	2014	6,209.903
2005	12,467	2015	3,125.45
2006	8,848	2016	18,419.67
2007	7,141	2017	2,784.756
2008	5,785.55		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन ROM (टन)
2017–18	11,760
2018–19	11,760

9. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.95 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।

10. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 330 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) का वर्तमान में 0.138 हेक्टेयर क्षेत्र में रेस्टोरेशन (Restoration) किया गया है।

13. लोक सुनवाई के दौरान स्थानीय रहवासियों द्वारा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर निवास स्थल होने तथा उत्खनन कार्य से आपत्ति होने का उल्लेख किये जाने के कारण उक्त दिशा में 30 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र (0.396 हेक्टेयर) को माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसके कारण माईनिंग प्लान में उत्पादन 12000 मीट्रिक टन/वर्ष से घटाकर 11760 मीट्रिक टन/वर्ष किया गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों

पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 21.14 से 33.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.38 से 63.98 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.54 से 13.52 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 9.82 से 19.62 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 48.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 42.4 डीबीए पाया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत दोनों विद्यालयों का अलग–अलग निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities at Nearby 1. Government Primary School, **Village- Traibhanta** 2. Government High School, **Village- Badanji**	
			Rain Water Harvesting System	1.20
			Potable Drinking Water Facility	0.80
			Running Water Facility	0.50
			Plantation with fencing	1.10
			Total	**3.60**

16. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 17/12/2019 दोपहर 12:00 बजे स्थान प्रेरणा हॉल (आस्था हॉल) जिला कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 06/02/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान क्षेत्र के पास 20 फीट की दूरी पर निवास स्थल है, जिससे घरों में धूल एवं ब्लास्टिंग का प्रभाव पड़ता है।

ii. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. खान और खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसारः– गौण खनिजों के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति – के तहत् छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई है, के नियम 5(2)(ग) में किये गये प्रावधान अनुसार ग्रामीण कच्चे रास्ते से सभी दिशाओं में 10 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण मार्ग को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक स्थान से सभी दिशाओं में 50 मीटर के भीतर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान करने पर निर्बधन है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर निवास स्थल से दूरी रखे जाने हेतु उक्त दिशा में 30 मीटर चौड़ाई के क्षेत्र (0.396 हेक्टेयर) को माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।

ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

I. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology के अनुसार निम्न गणना होती है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 21,204.426) / 12,000 = 442

Environment Compensation = 80x442x100x0.5x0.5 = Rs. 8,84,000/-

II. जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि रुपये 6,92,000 /– (Damage Cost) का प्रस्तुत किया गया है।

III. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 8,84,000/– रूपये निर्धारित की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 8,84,000/– रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

3. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 8,84,000/– रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पियुष हेलिवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/09/2021 द्वारा Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 8,84,000/– रूपये की बैंक गारंटी जमा करने की सूचना दी गई है।

3. Environment Compensation हेतु निर्धारित राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. समिति द्वारा नोट किया गया कि लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण में खदान से समीपस्थ घर 21 मीटर की दूरी पर होने का उल्लेख है। कलेक्टर द्वारा कुल लीज एरिया 1.619 हेक्टेयर में से वर्किंग एरिया कम करते हुये माईनिंग कार्य करने बाबत् संशोधित प्लान प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया है, जिसमें बस्ती से 200 मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा बण्ड बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अतः समीपस्थ घर से 200

मीटर छोड़कर माईनिंग कार्य किये जाने हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. Environment Compensation हेतु निर्धारित राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स पंडरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री आकाश जायसवाल), ग्राम–पंडरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1671)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213228/2021, दिनांक 28/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–पंडरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 3017, 3037/2 एवं 3038, कुल क्षेत्रफल–1.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश जायसवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पंडरी का दिनांक 24/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 743/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 501/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 500/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 205/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 26/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि भूमि श्रीमती सीमा जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/3126 बलरामपुर, दिनांक 10/06/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पंडरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–पंडरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल वाड्रफनगर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,246 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,533 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 409 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर

है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,500	15,00,000
द्वितीय	1,500	15,00,000
तृतीय	1,500	15,00,000
चर्तुथ	1,500	15,00,000
पंचम	1,500	15,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	1,500	15,00,000
सप्तम	1,500	15,00,000
अष्ठम	1,500	15,00,000
नवम	1,500	15,00,000
दशम	1,310	13,10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 208 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Primary School, **Village-Murliganj**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं कोयले से जनित फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. कार्यालय उपनिदेशक, एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/1323 अम्बिकापुर, दिनांक 04/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।
3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंचमार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण हेतु किया जाएगा।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. अनुमोदित माईनिंग प्लान में 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 500 नग ईंट निर्माण का उल्लेख है। जबकि वास्तव में कुल 1 घनमीटर (मिट्टी + फ्लाई ऐश) से 500 नग ईंट निर्माण होता है। प्रस्तावित उत्खनित मात्रा 10 वर्षों में कुल रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 13,533 घनमीटर से अधिक न हो। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स पंडरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती ललिता जायसवाल), ग्राम–पंडरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर – रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1688)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 213468/2021, दिनांक 31/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–पंडरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 1260 एवं 1261, कुल क्षेत्रफल– 1.039 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती ललिता जायसवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पंडरी का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 741/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 502/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 503/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 289/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि भूमि खसरा क्रमांक 1260 श्री रतनेश के नाम पर है एवं खसरा क्रमांक 1261 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/959 बलरामपुर, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पंडरी 0.56 कि.मी., स्कूल ग्राम–पंडरी 0.6 कि.मी. एवं अस्पताल वाड्रफनगर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,780 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,696 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,961 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित

क्षेत्र) का क्षेत्रफल 474 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	1,500	15,00,000
द्वितीय	1,500	15,00,000
तृतीय	1,500	15,00,000
चर्तुथ	1,500	15,00,000
पंचम	1,500	15,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	1,500	15,00,000
सप्तम	1,500	15,00,000
अष्ठम	1,500	15,00,000
नवम	1,500	15,00,000
दशम	1,500	15,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 237 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">36</td><td rowspan="2">2%</td><td rowspan="2">0.72</td><td colspan="2">Following activities at Government Primary School, Village-Parsatola</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>0.60</td></tr>
</table>

			Plantation	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं कोयले से जनित फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. कार्यालय उपनिदेशक, एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/1321 अम्बिकापुर, दिनांक 04/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 8.5 कि.मी. की दूरी पर है।
3. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंचमार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण हेतु किया जाएगा।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. अनुमोदित माईनिंग प्लान में 1 घनमीटर मिट्टी एवं 1 घनमीटर फ्लाई ऐश से 500 नग ईंट निर्माण का उल्लेख है। जबकि वास्तव में कुल 1 घनमीटर (मिट्टी

+ फ्लाई ऐश) से 500 नग ईंट निर्माण होता है। प्रस्तावित उत्खनित मात्रा 10 वर्षों में कुल रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 13,961 घनमीटर से अधिक न हो। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेटर पैड (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा एवं किस उद्योग से लिया जाएगा तथा उस उद्योग में प्रस्तावित ईंट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की मात्रा की उपलब्धता है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री गणेश कुमार जायसवाल (रामनगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट), ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1425)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 179769/2020, दिनांक 20/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1259/2, 3, कुल क्षेत्रफल – 0.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 840.75 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति (सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।

2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामचन्द्र जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर का दिनांक 23/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में सचिव का हस्ताक्षर नहीं है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/906/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/92/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 07/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/92/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री गणेश कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 03 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2013 से 17/09/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 27 वर्षों की, दिनांक 18/09/2016 से 17/09/2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1259/2 श्री उमाशंकर जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 1259/3 श्री रामचन्द्र जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./3138 अम्बिकापुर, दिनांक 06/08/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रामनगर 1.35 कि. मी., स्कूल ग्राम–रामनगर 1.35 कि.मी. एवं अस्पताल गोरखनाथपुर 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14,282 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 9,187 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,268 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 356.01 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की उंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	840
द्वितीय	840
तृतीय	835
चर्तुथ	841
पंचम	841

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छष्टम	841
सप्तम	841
अष्ठम	841
नवम	841
दशम	708

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर/ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 78 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3, कुल क्षेत्रफल–0.9 हेक्टेयर, क्षमता–840.75 घनमीटर (4,51,550 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1114/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/12/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
दिनांक 18/09/2013 से दिनांक 31/12/2013 तक	निरंक	निरंक
2014	1137.25	5,80,000
2015	1529.41	7,80,000
2016	803.92	4,10,000
2017	882.35	4,50,000
2018	627.45	3,20,000
2019	823.52	4,20,000
2020 (दिनांक 30/09/2020 तक)	392.15	2,00,000

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School Adrapara,	

			Village – Ramnagar	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.15
			Total	**0.75**

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता–840.75 घनमीटर (4,51,550 नग) प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 04/12/2020 द्वारा वर्ष 2017 में 882.35 घनमीटर (4,50,000 नग) प्रतिवर्ष एवं इसी प्रकार वर्ष 2020 (दिनांक 30/09/2020 तक) में 392.15 घनमीटर (2,00,000 नग) प्रतिवर्ष उत्खनन किया जाना बताया गया है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/12/2019 तक वैध थी। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 19/12/2019 से उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति (सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1114/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/12/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन (वित्तीय वर्ष में) की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में जो

आंकड़ें जिस ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से प्रस्तुत किये गये थे, उसी ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से वर्तमान में परिवर्तित आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार एक ही ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से भिन्न–भिन्न उत्खनन आंकड़ें प्रस्तुत किये गये है। उक्त विसंगतियों के संबंध में लेख करते हुए कलेक्टर को उचित कार्यवाही के लिए सूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया जाना होगा।

4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (सरपंच व सचिव के सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. कलेक्टर, जिला–सूरजपुर को एक ही क्रमांक एवं दिनांक द्वारा जारी दो अलग–अलग पत्रों के संबंध में जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्षवार प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/09/2021 को आवेदित प्रकरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

(द) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/09/2021 द्वारा आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री आशीष पालीवाल (धौराभाठा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1551)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 197220/2021, दिनांक 08/02/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/02/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं

1229(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 26,317.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष पालीवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 796/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 06/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3672/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.974 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहॉ तक शामिल किया जाए, जहॉ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3673/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. आशीष पालीवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक हैं।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1215(पार्ट), 1219/1, 1219/2, 1218/1, 1218/2, 1228/1 श्री मुकेश चन्द्राकर, खसरा क्रमांक 1216(पार्ट), 1217(पार्ट) श्रीमती विमला चन्द्राकर एवं खसरा क्रमांक 1229(पार्ट) श्री नेपाल सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4422 दुर्ग, दिनांक 11/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धौराभाठा 1.6 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–धौराभाठा 1.6 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,55,250 टन, माईनेबल रिजर्व 5,22,879 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,96,735 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,440 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,317	छष्टम	20,197
द्वितीय	25,046	सप्तम	19,991
तृतीय	25,271	अष्टम	10,054
चर्तुथ	24,218	नवम	10,136
पंचम	25,054	दशम	7,518

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान से बरसाती नाला 50 मीटर दूर है। नाला का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए माईनिंग प्लान अनुसार 293 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
40	2%	0.80	Following activities at Government Higher Secondary School, **Village – Dhaurabhata**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.10
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमवंत रहमतकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/990/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की संभावित आयु 5 वर्ष उल्लेखित है। जबकि वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन के विवरण में 10 वर्षों की योजना का उल्लेख है। उक्त के संबंध में माईनिंग प्लान में संशोधन कराकर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सी.ई.आर. के विस्तृत प्रस्ताव के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड छिर्रालेवा-बी (प्रो.- श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल), ग्राम-छिर्रालेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1603)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 203439/2021, दिनांक 14/03/2021। परियोाजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/03/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-छिर्रालेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 71,351 टन प्रतिवर्ष से 1,43,840 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 370वीं बैठक दिनांक 27/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद राजकुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 97, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–71,351 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 31/12/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 408/क/ख.लि./अ.अनु./न.क्र./21 महासमुंद, दिनांक 08/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
13/03/2020 से 30/06/2020 तक	10,191
01/07/2020 से 31/12/2020 तक	29,200

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेनदरहा का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 388/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019 नवा रायपुर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1872/क/अ.अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, 3.2 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य

सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहॉ तक शामिल किया जाए, जहॉ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1414/क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – भूमि शासकीय भूमि है। लीज श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/03/2020 से 12/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2073 महासमुंद दिनांक 22/06/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–छिर्रालेवा 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम–छिर्रालेवा 0.55 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,43,226 टन, माईनेबल रिजर्व 1,51,366 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,43,798 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,840 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,136 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,43,840
द्वितीय	7,454

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 622 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य शेष है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
18.20	2%	0.36	Following activities at Gram Panchayat Bhawan School, **Village – Kotendarha**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation	0.15
			Total	**0.50**

16. यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् सी.ई.आर. के प्रस्ताव का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनःभराव क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज क्रमशः दिनांक 26/07/2021 एवं 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन 1111/क/खलि/अ.आ./न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.2 हेक्टेयर है।
2. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति मार्केट से क्रय (Packed drinking water) करके की जाएगी।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् सी.ई.आर. के प्रस्ताव अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा रनिंग वॉटर की सुविधा के संबंध में कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनःभराव क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 3 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 3 एवं 5) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 15, 16, 21 एवं 29) का पालन नहीं किया गया है।
6. उपरोक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि शर्तों का पूर्णतः पालन किये जाने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार आंशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार बेंच वाईस उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को अनुरोध किया जाए।

3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार आंशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन 1443/क/ख. लि./उ.प./21 महासमुंद, दिनांक 28/09/2019 द्वारा पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

   - "उत्खनन अनुज्ञाधारी द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 एवं नियम 58 का उल्लंघन किया गया है। इस हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 51(26) के तहत् अनुज्ञाधारी को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5,000 रूपये अर्थदण्ड का चार गुणा रूपये 20,000 दिनांक 28/01/2021 शास्ति के रूप में जमा कराया गया।

   - खनि निरीक्षक जांच एवं प्रतिवेदन अनुसार अनुमोदित खनन योजना में बेंच निर्माण किया जाना था जो नहीं किया गया है। बेंच निर्माण के अतंर्गत 1,534 घनमी पत्थर खनिज में से 500 घनमी खनिज का परिवहन विधिसम्मत नहीं है शेष खनिज स्वीकृत क्षेत्र के अंदर स्टॉक रखा गया है साथ ही बगैर विधि सम्मत बेंच निर्माण हेतु प्रावधानित क्षेत्र में से 500 घ.मी. अवैध रूप से निकासित किया गया है। जो कि वैधानिक नहीं है मान कर अर्थदण्ड रूपये 2,65,000 दिनांक 28.09.2021 शास्ति के रूप में जमा कराया गया।"

3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया गया है। परंतु फोटोग्राफ्स प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्ष 2021 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कोरपाल (शैली) लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामगोपाल नेताम), ग्राम–कोरपाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1653)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /212239/2021, दिनांक 14/05/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोरपाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 201, कुल क्षेत्रफल–1.92 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,462.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामगोपाल नेताम, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तुसेल का दिनांक 25/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 10/खनिज/उ.यो./2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 09/04/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/ख.लि.4/07/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/ख.लि. 4/07/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 870/खनिज/ख.लि.4071/2020–21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जो कि अपठनीय है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर सामान्य वन मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./428 जगदलपुर, दिनांक 28/01/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा संरक्षित वन क्षेत्र से 0.507 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोरपाल 1 कि.मी. एवं अस्पताल जगदलपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 9 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,16,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,32,262 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,19,036 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,904 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 4.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,745 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,200
द्वितीय	13,200
तृतीय	13,200
चर्तुथ	13,200
पंचम	13,200

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	13,200
सप्तम	13,200
अष्टम	13,200
नवम	13,200
दशम	13,462

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 975 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 13,745 घनमीटर है, जिसको लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 2.95 मीटर की उंचाई तक भंडारण कर वृक्षारोपण किया जाएगा। जिसके परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में 1 मीटर की उंचाई से अधिक भंडारण किया जाना संभव नहीं है। ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन को शामिल करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत किये जाये।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति **प्रमाण पत्र** प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव **पूर्ण** विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामगोपाल नेताम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार भूमि श्रीमती रूखनी एवं श्री बदुरू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/त. अधि./1914 जगदलपुर, दिनांक 27/08/2021 से जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 0.507 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 16 कि.मी. की दूरी पर है।
3. रिवाईस्ड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 556/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 25/09/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 17,101 घनमीटर है, जिसमे से 3,904 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा शेष 13,197 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 205, क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर) में भंडारित किया जाएगा।
4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति ग्राम कोरपाल के सार्वजनिक नाला एवं पेयजल की आपूर्ति हेण्डपम्प से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village-Korpal**	

			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Total	**0.75**

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) से सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़